झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 1494 / 2016

पवन कुमार महतो, पिता- जलेश्वर राम महतो, निवासी गांव- टिकराटोली (पिस्का स्टेशन) डाक घर और थाना- सपारोम, जिला- रांची, झारखंड- 835303

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड सरकार, एचईसी परियोजना क्षेत्र, डाक घर और थाना - धुरवा, जिला- रांची-834004
3. सूचना आयुक्त, झारखंड सरकार, एचईसी परियोजना क्षेत्र, डाक घर और थाना - धुरवा, जिला- रांची-834004
4. अवर सचिव, सूचना आयोग, झारखंड सरकार, एचईसी परियोजना क्षेत्र, डाक घर और थाना - धुर्वा, जिला- रांची-834004
5. गोपाल मुंडा, पुत्र याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, निवासी गांव- हेसला (जामुन टांड), डाक घर - हेसला, थाना और जिला- रामगढ़- 829101 (झारखंड)

..... उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रवि कुमार सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री संजय पिपरवाल, अधिवक्ता

श्री राकेश रंजन, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वाराः दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका निजी व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (बी) के तहत पारित सजा के आदेश दिनांक 07.12.2015 को रद्द करने के लिए *उत्प्रेषण* की प्रकृति में उचित रिट जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसे ज्ञापन संख्या 21182 दिनांक 15.12.2015 द्वारा सूचित किया गया था, जिसके तहत और जहां के तहत, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 5 को आर्थिक क्षति और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (बी) के तहत नुकसान के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है।

4. सिविल रिट याचिका संख्या 3569/2012 दिनांक 18.10.2021 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने देखा है कि सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे पर संबंधित विभाग द्वारा हमला किया जा सकता है, न कि एक निजी व्यक्ति द्वारा और इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, दिनांक 02.08.2023 के आदेश के अनुसार, एलपीए संख्या 17/2022 में; प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, यह सुनवाई योग्य नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अब लोक सूचना अधिकारी नहीं है और न ही वह लोक सूचना अधिकारी था, प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा मांगी गई जानकारी के समय और याचिकाकर्ता अब संबंधित विभाग से जुड़ा नहीं है।

6. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, जिसकी इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक निजी व्यक्ति अपनी आधिकारिक क्षमता में लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ पारित मुआवजे के भुगतान के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है

7. इसलिए, इस रिट याचिका को निजी व्यक्ति के कहने पर सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है, जो स्वीकार्य रूप से नहीं है, सार्वजनिक सूचना अधिकारी को सिविल रिट याचिका संख्या 1494 / 2016, मे मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 2 अप्रैल, 2024
स्मिता/ ए. एफ. आर

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।